

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या 177/17

दायरा दिनांक:-13.09.17

पीठासीन अधिकारी :- श्री हनुमान सिंह गुर्जर (आर.ए.एस.)

उपनाम

अमरसिंह पुत्र रमेश जाति मीणा निवासी लालगंज तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)

- अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार किशनगंज।

- रेस्पों.

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.ए.

निर्णय

दिनांक :-12.12.17

अपीलांत द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट के तहत तहसीलदार किशनगंज के प्रकरण संख्या 516/17 निर्णय दिनांक 25.02.2017 के विरुद्ध पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को ग्राम लालगंज की आराजी खसरा नम्बर 140 रकबा 4.00 बीघा किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 100/- रुपये जुर्माना, फसल कीमत एवं बेदखली के आदेश दिये हैं तथा पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए एक माह की सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त निर्णय प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई।

अपीलान्त ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त के विरुद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलान्त को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है, न ही उसे कभी बेदखल किया गया है। रेंजर के बयानों के आधार पर अपीलांत को दोषी न होते हुए भी अतिक्रमी मानकर व सजायाब करके भारी भूल व न्याय का हनन किया है तथा विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है, न ही उक्त आराजी का मौका निरीक्षण किया गया है और न ही कोई स्वतंत्र गवाही ली गई है। पश्चातवर्ती होने का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकतरफा एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्त फरमावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील के तर्कों पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया जिसमें पश्चातवर्ती अतिचारी सिद्ध करने हेतु विवादग्रस्त आराजी से बेदखली के आदेश एवं बेदखलीनामा की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है एवं स्वतंत्र गवाहों के बयान भी संलग्न नहीं हैं।

अतः अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय यथावत रखते हुए सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलान्त द्वारा अतिक्रमित आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया हो तथा तावान राशि जमा करा दी हो। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तदनुसार कार्यवाही हेतु वापिस भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

(हनुमान सिंह गुर्जर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

